

### अनुमति की शर्तें ।

- (1) सफल भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी कतिपयता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवेदक निगम को सूचित करेंगे ।
- (4) स्वीकृत नगर के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एक ही प्लॉट की केवल आवासीय भूखण्ड  
कार्यालय नगर निगम जोधपुर

आवेदन क्रमांक 811 दिनांक 21/01/2024

प्राथमिकी विनोद सिंह जी के द्वारा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9350/-

जरिये रसीद संख्या 9069/932, 933

दिनांक 21/01/2024 को जमा करा दी है ।

प. 00:25 सुभाष नगर विस्तार

पी+1  
 आवासीय

21/01/2024

सहायक नगर नियोजक  
 नगर निगम, जोधपुर